144

बिहार सरकार
पिछड़ा वर्ग एवं अति पिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग

सं0--पि०व०/2/ब० एवं आ०--17--23/2022-- 68 पटना, दिनांक-- 01/06/26

सेवा में,

महालेखाकार,
वीरचंद पटेल पथ,
बिहार, पटना ।

विषयः-- वित्तीय वर्ष 2026--27 में राज्य स्कीम के अन्तर्गत पिछड़ा वर्ग एवं अति पिछड़ा वर्ग छात्र/छात्राओं के लिए प्राथमिक, मध्य एवं उच्च विद्यालय छात्रवृति प्रदान करने हेतु ''मुख्यमंत्री पिछड़ा वर्ग एवं अत्यंत पिछड़ा वर्ग प्री--मैट्रिक छात्रवृत्ति योजना'' अन्तर्गत कुल रू० 80.00 करोड़ (रू० अस्सी करोड़) मात्र की स्वीकृति।

आदेश-- स्वीकृत।

उपर्युक्त विषय के संबंध में कहना है कि विभागीय संकल्प संख्या--67, दिनांक--10.01.2023 द्वारा राज्य योजना के तहत वित्तीय वर्ष 2022--23 से राज्य के सरकारी विद्यालय, सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त तथा स्थापना प्रस्वीकृत विद्यालयों में कक्षा--I से X तक अध्ययनरत पिछड़ा वर्ग एवं अत्यंत पिछड़ा वर्ग के छात्र/छात्राओं को छात्रवृत्ति प्रदान करने हेतु ''मुख्यमंत्री पिछड़ा वर्ग एवं अत्यंत पिछड़ा वर्ग प्री--मैट्रिक छात्रवृत्ति योजना'' के संचालन एवं दिशा--निर्देश तथा योजना का संचालन शिक्षा विभाग के माध्यम से कराने की स्वीकृति प्रदान की गयी है।

2--वर्तमान वित्तीय वर्ष 2026--27 में उक्त योजना अंतर्गत छात्रवृत्ति (277--शिक्षा) मद में कुल रू० 80.00 करोड़ (रू० अस्सी करोड़) मात्र की राशि प्री--मैट्रिक छात्रवृत्ति हेतु राशि का व्यय की स्वीकृति प्रदान की जाती है।

3--उक्त संपूर्ण राशि का व्यय भार वर्तमान वित्तीय वर्ष 2026--27 में राज्य स्कीम माँग संख्या--11 के अंतर्गत आय--व्ययक मुख्य शीर्ष ''2225--अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों, अन्य पिछड़े वर्गों और अल्पसंख्यकों का कल्याण, उपमुख्य शीर्ष--03--पिछड़े वर्गों का कल्याण के लघु शीर्ष--277--शिक्षा, उप शीर्ष--0101 शिक्षा, विषय शीर्ष--34--छात्रवृत्ति/वजीफा (0101--34--01--छात्रवृत्ति/वजीफा), विपत्र कोड 11--2225--03--277--0101 के अधिन विकलनीय होगा।

4--इस स्वीकृत राशि के विरूद्ध आवंटित राशि के लिए निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी अपर मुख्य सचिव, शिक्षा विभाग द्वारा प्राधिकृत पदाधिकारी होंगे। संकल्प संख्या--67, दिनांक--10.01.2023 के आलोक में राज्य स्तर पर इस योजना के नियंत्री पदाधिकारी अपर मुख्य सचिव, शिक्षा विभाग, बिहार होंगे।

5--शिक्षा विभाग, बिहार सरकार के द्वारा प्राधिकृत पदाधिकारी छात्रवृति की राशि निकासी कर DBT के माध्यम से लाभुकों के बैंक खाता में राशि का अन्तरण करेंगे। छात्रवृति हेतु व्यय किये गये राशि का उपयोगिता प्रमाण--पत्र निर्धारित समय--सीमा के अन्दर नियमानुसार महालेखाकार को समर्पित करते हुए इसकी सूचना पिछड़ा वर्ग एवं अति पिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग को भेजेंगे।

6--निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी राशि की निकासी एवं व्यय वित्त विभाग के द्वारा निर्गत परिपत्र पत्रांक--2561, दिनांक--17.04.1998, वित्त विभाग के संकल्प ज्ञापांक--3808, दिनांक--02.06.2017 तथा समय--समय पर वित्त विभाग/शिक्षा विभाग एवं राज्य सरकार द्वारा निर्गत अन्य परिपत्रों में सन्निहित निदेशों के आलोक में करेंगे।

7--उक्त स्वीकृत राशि की निकासी BTC-43 में किया जाएगा।

8--जिला पदाधिकारी छात्रवृत्ति वितरण का अनुश्रवण करेंगे कि लाभान्वित होने वाले छात्र/छात्राओं को बैंक खाता के माध्यम से राशि का अन्तरण किया जा रहा है।

9--स्वीकृत की जा रही राशि वर्तमान वित्तीय वर्ष 2026--27 में उपलब्ध योजना उद्व्यय एवं बजट उपबंध के अंतर्गत है।

10--उक्त स्वीकृत राशि का व्यय योजनान्तर्गत वित्तीय वर्ष 2025--26 के छात्रवृत्ति भुगतान के लिए किया जायेगा।

P.T.O

11–निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी स्वीकृत राशि के समुचित एवं नियमानुसार उपयोग हेतु पूर्ण उत्तरदायी होंगे। अनावश्यक रूप से राशि कोषागार से निकासी के बाद अव्यवहृत नहीं रखा जाए। राशि की उतनी ही निकासी की जाए, जिसका वास्तविक उपयोग दिनांक–31.03.2027 तक हो सके एवं इस तिथि के बाद कोई राशि बैंक ड्राफ्ट/बैंक खाता/नगद के रूप में नहीं रख जाए।

12–प्रस्ताव एवं प्रारूप पर आंतरिक वित्तीय सलाहकार की सहमति प्राप्त है।

13–प्रस्ताव में अपर मुख्य सचिव, पिछड़ा वर्ग एवं अति पिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग का अनुमोदन प्राप्त है।

14–सभी संबंधित पदाधिकारियों को इस राशि के स्वीकृति की सूचना दी जा रही है।

15–कृपया पत्र प्राप्ति की सूचना दी जाय।

बिहार राज्यपाल के आदेशानुसार,

01/6/26

(अनिल कुमार ठाकुर)
सरकार के अपर सचिव।

ज्ञापांक– पि०व०/2/ब० एवं आ०–17–23/2022– 68 पटना, दिनांक– 01/06/26

प्रतिलिपि–महालेखाकार (लेखा परीक्षा), बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

01/6/26

सरकार के अपर सचिव।

ज्ञापांक– पि०व०/2/ब० एवं आ०–17–23/2022– 68 पटना, दिनांक–

प्रतिलिपि– अपर मुख्य सचिव, शिक्षा विभाग/सचिव, वित्त विभाग/अपर मुख्य सचिव, योजना एवं विकास विभाग/सभी प्रमंडलीय आयुक्त/सभी जिला पदाधिकारी/सभी उप विकास आयुक्त/सभी प्रमण्डलीय उप निदेशक पिछड़ा एवं अति पिछड़ा वर्ग कल्याण/सभी जिला शिक्षा पदाधिकारी/सभी जिला कार्यक्रम पदाधिकारी (योजना एवं लेखा)/सभी जिला पिछड़ा एवं अति पिछड़ा वर्ग कल्याण पदाधिकारी को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

01/6/26

सरकार के अपर सचिव।

ज्ञापांक– पि०व०/2/ब० एवं आ०–17–23/2022– 68 पटना, दिनांक– 01/06/26

प्रतिलिपि–सभी जिला कोषागार पदाधिकारियों को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

01/6/26

सरकार के अपर सचिव।

ज्ञापांक– पि०व०/2/ब० एवं आ०–17–23/2022– 68 पटना, दिनांक– 01/06/26

प्रतिलिपि– माननीया मंत्री के आप्त सचिव, पिछड़ा वर्ग एवं अति पिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग, बिहार, पटना/माननीय मंत्री के आप्त सचिव, शिक्षा विभाग/निदेशक/उप सचिव/विशेष कार्य पदाधिकारी/अपर मुख्य सचिव के वरीय प्रधान आप्त सचिव/अवर सचिव बजट प्रशाखा/आई० टी० मैनेजर, पिछड़ा वर्ग एवं अति पिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

01/6/26

सरकार के अपर सचिव।

(146

बिहार सरकार

पिछड़ा वर्ग एवं अति पिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग

पत्रांक– पि०व०/2/ब० एवं आ०–17–23/2022 828

प्रेषक,

अनिल कुमार ठाकुर,
सरकार के अपर सचिव।

सेवा में,

सचिव,
शिक्षा विभाग,
बिहार, पटना।

पटना, दिनांक– 01/06/26

विषयः–वित्तीय वर्ष 2025–26 का मुख्यमंत्री पिछड़ा वर्ग एवं अत्यंत पिछड़ा वर्ग प्री–मैट्रिक छात्रवृत्ति योजनान्तर्गत अन्तर राशि का भुगतान, संचित राशि से करने हेतु दिशा–निर्देश उपलब्ध कराने के संबंध में।

प्रसंगः–निदेशक, माध्यमिक शिक्षा, शिक्षा विभाग के पत्रांक–753, दिनांक–22.05.2026 एवं निदेशक, प्राथमिक शिक्षा, शिक्षा विभाग के पत्रांक–1026, दिनांक–25.05.2026

महाशय,

निदेशानुसार उपर्युक्त विषयक प्रासंगिक पत्रों द्वारा मुख्यमंत्री पिछड़ा वर्ग एवं अत्यंत पिछड़ा वर्ग प्री–मैट्रिक छात्रवृत्ति योजनान्तर्गत अवशेष राशि का विवरण उपलब्ध करवाते हुए वित्तीय वर्ष 2025–26 से प्री–मैट्रिक छात्रवृत्ति दर को दोगुणा किये जाने के आलोक में अंतर राशि का भुगतान हेतु अवशेष राशि का व्यय करने एवं आवश्यक अतिरिक्त राशि स्वीकृत करने का अनुरोध किया गया है, जिसका विवरण निम्नरूपेण है :–

(राशि रू० में)

कक्षा	वित्तीय वर्ष	अवशेष राशि	आवश्यक अतिरिक्त राशि
1 से 08	2024–25	2,20,67,61,200/–	
	2025–26	1,55,40,32,600/–	
	योग (A)–	**3,76,07,93,800/–**	**1,24,00,00,000/–**
09 से 10	2024–25	24,90,80,400/–	
	2025–26	2,20,74,33,045/–	
	योग (B)–	**2,45,65,13,445/–**	
कक्षा–01 से 10 कुल योग– (A+B)		**6,21,73,07,245/–**	**1,24,00,00,000/–**

2–उल्लेखनीय है कि योजनान्तर्गत विभाग द्वारा शिक्षा विभाग को राशि की स्वीकृति समेकित रूप से की जाती है।

3–वित्तीय वर्ष 2025–26 में पूर्व के दर पर भुगतान में व्यय की गयी राशि का विवरण निम्नरूपेण हैः–

(राशि रू0 करोड़ में)

कक्षा	कुल व्यय
कक्षा–1 से 8	500.00
कक्षा–9 से 10	200.00
योग–	700.00

4–स्पष्ट है कि विभागीय संकल्प सं0–226 दिनांक–03.02.2026 द्वारा वित्तीय वर्ष 2025–26 से मुख्यमंत्री पिछड़ा वर्ग एवं अति पिछड़ा वर्ग प्री–मैट्रिक छात्रवृत्ति योजना के तहत छात्रवृत्ति दर दोगुणा किये जाने के फलस्वरूप अंतर्राशि के भुगतान हेतु अतिरिक्त रू0 700.00 करोड़ की आवश्यकता है।

5–प्रासंगिक पत्रों द्वारा प्रतिवेदित कुल अवशेष राशि रू० 621.73 करोड़ एवं दर दोगुणा किये जाने के फलस्वरूप आवश्यक अतिरिक्त राशि रू० 700.00 करोड़ के आलोक में विभागीय स्वीकृत्यादेश संख्या–68 दिनांक–01/06/2026 द्वारा राशि रू० 80.00 करोड़ की स्वीकृति दी गई है (प्रति संलग्न)।

P.T.O.

D/Kundan-2/Draft (p)

अतः उपर्युक्त के आलोक में अनुरोध है कि वर्तमान में अवशेष राशि सहित उक्त स्वीकृत राशि का व्यय वित्तीय वर्ष 2025–26 के पिछड़ा वर्ग एवं अत्यंत पिछडा वर्ग के लिए संचालित प्री–मैट्रिक छात्रवृत्ति योजना के तहत संबंधित लाभार्थियों को अन्तर राशि का भुगतान करने के संबंध में नियमानुसार व्यय करने की कृपा की जाय।

अनु०–यथोक्त।

विश्वासभाजन

1/6/26

(अनिल कुमार ठाकुर)
सरकार के अपर सचिव।

ज्ञापांक– पि०व०/2/ब० एवं आ०–17–23/2022 828 पटना, दिनांक– 01/06/26

प्रतिलिपिः–निदेशक, माध्यमिक शिक्षा/निदेशक, प्राथमिक शिक्षा, शिक्षा विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

1/6/26

सरकार के अपर सचिव।

ज्ञापांक– पि०व०/2/ब० एवं आ०–17–23/2022 828 पटना, दिनांक– 01/06/26

प्रतिलिपिः–माननीय मंत्री के आप्त सचिव, पिछड़ा वर्ग एवं अति पिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ प्रेषित।

1/6/26

सरकार के अपर सचिव।